द्वितीय विश्वयुद्ध के कारण

Course – M.A. History, Part-II, Paper-XVI; Prepared by – Dr. P.K. Poddar

प्रथम विश्वयुद्ध के बाद राष्ट्रसंघ की स्थापना के साथ दुनियाँ के लोगों में यह आशा जगी थी कि अब विश्व युद्ध से सुरक्षित हो गया है और मानव समाज को पुनः विध्वंसकारी युद्धों से खतरा नहीं है। यह अविश्वसनीय था जिस पीढ़ी ने एक भयानक युद्ध झेला है वही उसकी पुनरावृत्ति करने को प्रस्तुत हो जायेगी और विश्व पुनः एक विनाशकारी घटनाक्रम में इतना शीघ्र फँस जायेगा। फिर भी ऐसा ही हुआ। लगभग बीस वर्षों की शान्ति के बाद सितम्बर 1, 1939 ई० को इस आशा पर पानी फिर गया जब नात्सी जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण कर दिए जाने के परिणाम-स्वरूप द्वितीय विश्वयुद्ध ने पुनः अपनी लपटों में दुनियाँ को समेट लिया।

द्वितीय विश्वयुद्ध के निम्नलिखित कुछ गहन मूलभूत कारण थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध का एक मुख्य कारण वर्साय संधि की त्रुटियाँ थीं। वर्साय संधि जर्मनी के लिए कठोर, अपमानजनक एवं अन्यायपूर्ण था जिसे जर्मनी जैसा स्वाभिमानी राष्ट्र दीर्घकाल तक बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इस संधि के द्वारा जर्मनी का सम्पूर्ण औपनिवेशिक साम्राज्य छीन लिया गया था। इतना ही नहीं, सार का कोयला उत्पादन क्षेत्र भी जर्मनी के अधिकार में न रहा। इसके अतिरिक्त विजयी मित्रराष्ट्रों ने जर्मनी की सैनिक शक्ति को भी सीमित कर दिया और उस पर क्षतिपूर्ति की इतनी भारी राशि लाद दी कि उसका भुगतान करना असंभव था। इस प्रकार, भावी युद्ध के बीज वर्साय संधि में आरंभ से ही विद्यमान थे।

द्वितीय महायुद्ध का दूसरा कारण विश्व शांति को बनाए रखने में राष्ट्रसंघ की असफलता एवं सामुहिक सुरक्षा की समाप्ति थी।

1924 से 1930 तक के काल में राष्ट्रसंघ की प्रतिष्ठा सर्वाधिक रही, किन्तु 1931 में जब जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण किया, तब राष्ट्रसंघ उसके विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाई नहीं कर सका। 1935 में इटली ने अबीसीनिया पर आक्रमण किया और बाद में उसे हड़प लिया परन्तु राष्ट्रसंघ कोई ठोस कदम उठाने में असफल रहा। 1938 में जर्मनी द्वारा आस्ट्रिया के अधिग्रहण और चेकोस्लोवाकिया के अंग-भंग किए जाने को भी वह असहाय अवस्था में देखता रहा और 1939 में पोलैंड के विघटन के समय किसी ने उसकी याद तक नहीं की। इस प्रकार राष्ट्रसंघ संघर्ष में निष्क्रिय बना रहा। राष्ट्रसंघ के प्रमुख सदस्य-राज्यों की संकीर्ण, स्वार्थपूर्ण एवं दुरंगी नीति के कारण वह सामूहिक सुरक्षा का प्रभावशाली साधन बनने के बजाय मिस्त्र की ममी (Mummy) की भाँति प्राणविहीन मूर्ति बनकर रह गया।

द्वितीय विश्वयुद्ध का सबसे प्रमुख कारण यूरोप में अधिनायकवादी शक्तियों का उत्कर्ष था। वर्साय संधि से उत्पन्न प्रतिक्रिया के कारण जर्मनी में हिटलर का उत्कर्ष हुआ जिसका उद्देश्य संधि के सारे प्रतिबंधों को समाप्त करके जर्मनी को पुनः सर्वशक्तिशाली राज्य बनाना था। हिटलर जर्मनी के साथ किए गए अन्याय का बदला लेना चाहता था। अतः हिटलर ने इटली और जापान के साथ मिलकर रोम-बर्लिन-टोकियो धुरी की स्थापना की। जर्मनी, इटली और जापान में अधिनायकवादी शक्तियों का जन्म हुआ जिसके फलस्वरूप इन राष्ट्रों ने दूसरे राष्ट्रों पर आक्रमण कर उन्हें जबर्दस्ती हथिया लिया। फासिस्टवाद और नात्सीवाद अपनी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाओं के लिए युद्ध को अपनी नीति का आवश्यक अंग मानते थे।

हिटलर और मुसोलिनी की रोम - बर्लिन - धुरी ने यूरोप को दो परस्पर विरोधी गुटों में विभाजित कर दिया। इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के पहले दो प्रवृत्तियाँ, लोकतंत्र तथा अधिनायकवाद के बीच संघर्ष चल रहा था और उसमें परस्पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व संभव न था।

द्वितीय विश्व युद्ध का दायित्व

कुछ अंशों में इंगलैंड की परराष्ट्र नीति पर भी है। इस समय ब्रिटेन की नीति थी कि किसी भी तरह जर्मनी और रूस में लड़ाई हो, ताकि साम्यवाद के प्रचार को रोका जा सके। इस नीति को ब्रिटिश तुष्टीकरण की नीति कहा जाता है। वास्तव में वह "प्रोत्साहित करो" की नीति थी। इस काल में ब्रिटेन की नीति यह थी कि फ्रांस पर दबाव डालकर हिटलर, मुसोलिनी और हिरोहितो को साम्यवादी रूस के खिलाफ उभारा जाय और उसकी सहायता करके साम्यवादी रूस का विनाश करवा दिया जाय। इसलिए ब्रिटेन ने हिटलर को रोकने की कोई चेष्टा नहीं की। चेकोस्लोवाकिया का विनाश इसने इसी उद्देश्य से कराया कि इससे हिटलर प्रोत्साहित होकर सोवियत संघ पर चढ़ाई कर बैठेगा। ब्रिटेन और फ्रांस ने मुसोलिनी को संतुष्ट रखने के लिए उसके विरुद्ध राष्ट्रसंघ द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों का पूर्ण रूप से पालन नहीं होने दिया। उसके पश्चात हिटलर द्वारा वर्साय संधि की व्यवस्थाओं के उल्लंघन के विरुद्ध भी कोई कदम नहीं उठाया गया। इससे हिटलर और मुसोलिनी की विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं को प्रोत्साहन मिला। तुष्टीकरण की यह नीति विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हुई जिसका परिणाम सारे संसार को भुगतना पड़ा। तुष्टीकरण नीति

का एक दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम यह हुआ कि इससे हिटलर को विश्वास हो गया कि ब्रिटेन और फ्रांस उसके विरुद्ध युद्ध करने में सक्षम नहीं थे।

द्वितीय विश्वयुद्ध के आधारभूत कारणों में उग्र-राष्ट्रवाद और विशेष रूप से आर्थिक राष्ट्रवाद का एक महत्वपूर्ण स्थान है। जर्मनी, इटली और जापान में उग्र राष्ट्रवाद का प्रभाव बड़ा प्रबल था। वहाँ पर राष्ट्र की शक्ति एवं गौरव की वृद्धि ही एक मात्र लक्ष्य बन गया था। उसकी प्राप्ति के लिए समस्त आर्थिक साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके आक्रामक नीतियों का आश्रय लिया जाने लगा। मुसोलिनी ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के गौरव पर आधारित राष्ट्र की महानता की कल्पना प्रस्तुत करके इटली में उग्र राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन दिया। इस प्रकार हिटलर ने "सर्वश्रेष्ठ नजाति" (Master Race) की भावना को राष्ट्र की महानता का आधार बनाया और वर्साय की अन्यायपूर्ण संधि द्वारा किए गए राष्ट्रीय अपमान का प्रतिशोध लेने की इच्छा को उत्तेजित किया। प्रथम विश्वयुद्ध के फलस्वरूप जर्मनी की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। इटली को भी युद्ध जनित आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इसके अतिरिक्त 1929-30 के आर्थिक संकट से सभी राज्यों की आर्थिक एवं वित्तीय व्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गई थी। इस संकट ने जर्मनी में हिटलर के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कर दिया। तत्कालीन अस्त-व्यस्त आर्थिक व्यवस्था के परिणामस्वरूप जर्मनी, इटली और जापान जैसे असंतुष्ट राष्ट्रों ने बल-प्रयोग द्वारा अतिरिक्त भू-भाग प्राप्त करने के लिए उद्यत हो गए।

वचन-विमुखता भी युद्ध का एक कारण बना। राष्ट्रसंघ के विधान पर हस्ताक्षर करके सभी सदस्य राज्यों ने वादा किया था कि वे सामूहिक रूप से सबकी प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा करेंगे। लेकिन जब मौका आया, तब सबके सब पीछे हट गए। जापान चीन को लूटता रहा और इटली अबीसीनिया को रौंदता रहा। यद्यपि दोनों देश राष्ट्रसंघ के सदस्य थे, पर किसी ने कुछ नहीं किया। हिटलर ने आस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया को हड़प लिया परन्तु इस आक्रमण का कोई विरोध नहीं हुआ। इस कमजोरी से लाभ उठाकर हिटलर ने पोलैंड पर चढ़ाई कर दी। अगर सभी राष्ट्र अपने दिए गए वचनों का पालन करते रहते और आक्रमण के अवसर पर संधि के अनुसार अपने साथियों की मदद करते, तो आक्रामक प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन नहीं मिलता और दूसरा विश्वयुद्ध छिड़ने से बच जाता।

हथियारों का निर्माण युद्ध का एक अन्य कारण था। यद्यपि पेरिस सम्मेलन में सभी देशों के प्रतिनिधियों ने यह निश्चय किया था कि युद्ध की आशंका को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय निःशस्त्रीकरण है, पर यह प्रस्ताव पराजित देशों पर ही लागू हुआ और विजयी राष्ट्रों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। 1932 ई० में राष्ट्रसंघ के तत्त्वावधान में जिनेवा में निःशस्त्रीकरण का सम्मेलन हुआ परन्तु यह सम्मेलन असफल साबित हुआ। राष्ट्रसंघ का कोई भी देश सैनिक युद्धपोत कम न करेगा। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन की असफलता के

परिणामस्वरूप पुनः शस्त्रीकरण प्रारंभ हुआ। सभी देश घातक शस्त्रास्त्र बनाने में जुट गए एवं यूरोप की आर्थिक व्यवस्था युद्धचक्र से बोझ दी गई। इस प्रकार शीघ्र ही विश्व उसी अन्तर्राष्ट्रीय अराजकता की स्थिति में पहुंच गया जिसमें यूरोप प्रथम विश्वयुद्ध के पूर्व था।

द्वितीय विश्वयुद्ध का तात्कालिक कारण अगस्त 1939 का संकट था, जो मूलतः जर्मनी की डेनजिंग एवं पोलिश गलियारे की माँग से उत्पन्न हुआ। 1 सितम्बर 1939 को हिटलर की सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। 3 सितम्बर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी। इस चेतावनी की उपेक्षा होने पर इन्होंने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। थोड़े ही समय में युद्ध ने इतना भीषण रूप धारण कर लिया कि वह एक भयंकर महायुद्ध बन गया। वर्साय संधि के बीस वर्षों बाद ही विश्व पुनः एक बार और युद्ध की धधकती अग्नि में कूद पड़ा।

इस प्रकार हम पाते हैं कि द्वितीय विश्वयुद्ध उपरोक्त कारणों के समन्वित परिणामस्वरूप 1939 ई० में शुरू हुआ। जहाँ इतने सारे कारण मौजूद हों, वहाँ तो युद्ध अनिवार्य ही था।